

मिसिल संख्या ए. 12018/07/2014-एम एच-II

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं0 एबी.14017/61/2008-
स्थापना(आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए भर्ती नियम
संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पण्धारक भर्ती
नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे, (Thenkholal
baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन,
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-
मेल कर सकते हैं।


(जी. ए. रघुवंशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23061436

नई दिल्ली

दिनांक: 06.12.2017

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख :

2017

अधिसूचना

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मेट्रिक्स में लेवल- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण		वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
		(1)	(2)		(3)	
मल्टी टारिक्सिंग स्टाफ	308*(2017) *कार्यालय के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'B' अराजपत्रित, अनुनुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में लेवल 1	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
		सुपरवाइजर (22) सफाई कर्मचारी (220) दफतरी (18) सुरक्षा गार्ड (20) द्विश क्लीनर (1) चपरासी (27)				टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तरीख अङ्गर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख छंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांची उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अङ्गर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ता किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं	सीधे भर्ता किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होनी चाही नहीं।	परिवेश की अवधि यदि कोई हो।
(7) मैट्रिक्सलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अथवा औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उत्तीर्ण	(8) दशा में लागू होनी चाही नहीं।	(9) दो वर्ष

भर्ता की पद्धति: भर्ता सीधे होनी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ता की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	भर्ता जाने वाली रिक्विट्यों की प्रतिशतता	(10)	(11)
सीधे भर्ता द्वारा	लागू नहीं		

<p>चाहि विभागीय प्रैन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p> <p>(12)</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति की संरचना:</p> <ol style="list-style-type: none"> सफदरजंग अस्पताल के उप निदेशक प्रशासन -आद्यक्ष चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य प्रशासनिक अधिकारी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य 	<p>अन्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p> <p>(13)</p> <p>लागू नहीं</p>
---	--

[ए.12018/07/2014 -एमएच-II]

(जी. ए . रघुवंशी)
अवर सचिव, भारत सरकार